रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042020-219240
CG-DL-E-30042020-219240

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1166] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2020/वैशाख 3, 1942
No. 1166] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2020/VAISAKHA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2020

का. आ. 1309(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के हस्सान जिले में NH75 के कि.मी. 184.912 से कि.मी.230.06 (विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी एनएच-48, हसन-बीसी रोड सेक्शन कार्यालय, हसन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"7.11.2019 "** को **"डेक्कन हेराल्ड "** और **"विजय कर्नाटका"** दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आपत्तियां प्राप्त हुई और सक्षम अधिकारी ने उन पर विचार किया है और आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उप-धारा (1) के अनुपालन में अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दे दी है;

इसलिए, केंद्र सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने और उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने पर यह घोषणा करती है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिए उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3डी की उप-धारा (2) के अनुपालन में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के अवसर पर उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी अतिक्रमण से मुक्त होगी और केन्द्र सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के हसन जिले में एनएच75 का कि.मी. हिस्सा 184.912 कि.मी. 2.230.06 (विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और सक्षम प्राधिकरण एनएच-48, हसन-बीसी रोड सेक्शन ऑफिस, हसन) के लिए अधिग्रहीत किया जाएगा।

राज्य का नाम: कर्नाटक		**जिले का नाम: हस्सान**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: हस्सान				
	गांव का नाम: ईचालाहल्ली				
1	42/4	निजी	सूखा	0.0203	आर सुरेश सुपुत्र लेट एम् के राजेगौडा ()
	गांव का नाम: कंधली				
2	125	सरकारी	एन ए के	0.0404	गैस पाइप लाइन ,यागाची नाला , गवर्नमेंट रोड ()
3	125	निजी	Dry	0.0708	एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर ()
4	125	निजी	NAK	0.2884	यगची इंस्टीटूशन्स ,कंदली ()
			कुल	**0.4199**	

[फा. सं. NH75/H-M/Karnataka/PIU-Hassan/3(a)/3A2/3D2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2020

S.O. 1309(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH75 on the stretch of land from Km 184.912 to Km 230.06 (Office of the Special Land Acquisition Officer and Competent Authority NH-48, Hassan-B.C. Road Section, Hassan) in the district of HASSAN in the state of KARNATAKA;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Deccan Herald" and "Vijaya Karnataka" both dated 07.11.2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH75 in the stretch of land from Km 184.912 to Km 230.06 (Office of the Special Land Acquisition Officer and Competent Authority NH-48, Hassan-B.C. Road Section, Hassan) in the district of HASSAN in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA		**District: HASSAN**			
Sr. No.	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Hassan				
	Viilage: Eachalahalli				
1	42/4	Private	Dry	0.0203	R Suresh s/o Late M K Rajegowda
	Viilage: Kandali				
2	125	Government	NAK	0.0404	Gas Pipe Line ,Yagachi Nala, Government Road
3	125	Private	सूखा	0.0708	Agricultural Science Centre
4	125	Private	एन ए के	0.2884	Yagachi Institutions ,Kandali
			TOTAL	**0.4199**	

[F. No. NH75/H-M/Karnataka/PIU-Hassan/3(a)/3A2/3D2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.04.30 19:18:49 +05'30'